न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 127/2020

1. रामा देवी पत्नी सेडूराम
2. गोठी देवी पत्नी रामसहाय

   जाति अहीर निवासी ग्राम बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– वादीयागण

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड

उपस्थित – 1. श्री जालिम सिंह वकील वादीयागण

निर्णय

दिनांक – 29.12.20

संक्षेप में वाद वादीगण इस प्रकार है कि :–

1. कृषि भूमि खसरा नंबर 787, 789, 790, 797 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 है0 स्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी पत्नी सेडूराम हिस्सा 9/40 तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी पत्नी रामसहाय हिस्सा 9/40 दर्ज है, जबकि वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी पत्नी सेडूराम एवं वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी पत्नी रामसहाय है।
2. कृषि भूमि खसरा नंबर 668 रकबा 0.43 है0 स्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी पत्नी सेडूराम हिस्सा 9/40 तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी पत्नी रामसहाय हिस्सा 9/40 दर्ज है, जबकि वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी पत्नी सेडूराम एवं वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी पत्नी रामसहाय है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

3. कृषि भूमि खसरा नंबर 793 रकबा 1.43 है0 स्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया सं0 1 का नाम रामेश्वरी पत्नी सेडूराम हिस्सा 1/4 तथा वादीया सं0 2 का नाम घोटी देवी पत्नी रामसहाय हिस्सा 1/4 दर्ज है, जबकि वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी पत्नी सेडूराम एवं वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी पत्नी रामसहाय है।

4. कृषि भूमि खसरा नंबर 788 रकबा 0.65 है0 स्थित तन ग्राम खिरोटी तहसील श्रीमाधोपुर अवस्थित है जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी पत्नी सेडूराम हिस्सा 1/4 तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी पत्नी रामसहाय हिस्सा 1/4 दर्ज है, जबकि वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी पत्नी सेडूराम एवं वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी पत्नी रामसहाय है।

5. वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी पत्नी सेडूराम एवं वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी पत्नी रामसहाय है तथा इनके अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड में यही नाम दर्ज है। परन्तु उक्तांकित कृषि भूमियो में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी व रामेश्वरी तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी व घोटी देवी दर्ज हो गया जिस कारण राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं में परेशानी हो रही है। अतः मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित कृषि भूमियों में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी व रामेश्वरी के स्थान पर रामा देवी तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी व घोटी देवी के स्थान पर गोठी देवी घोषित किया जाकर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रतिवादी को जाति दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर न्यायालय से वाद दायर कर आदेश लाने हेतु कहने पर वाद अन्दर न्यायालय क्षेत्र पैदा हुआ है। अतः वाद वादीयागण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में रामूडी व रामेश्वरी के स्थान पर रामा देवी तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी व घोटी देवी के स्थान पर गोठी देवी घोषित किया जाकर दुरुस्त किया जावें एवं उक्तानुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश प्रदान किया जावे।

7. वादीयागण का वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने स प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

8. वाद के समर्थन में बतौर साक्ष्य वादीया सं0 1 व 2 का शपथ पत्र व बवाह का शपथ पत्र पेश किया।

9. बहस वकील वादी सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि मद संख्या 1 ता 4 में वर्णित कृषि भूमियों में वादीया सं0 1 का नाम रामूडी व रामेश्वरी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

तथा वादीया सं0 2 का नाम छोटी देवी व घोटी देवी दर्ज है। वादीयागण का कथन कि वादीया सं0 1 का वास्तविक नाम रामा देवी तथा वादीया सं0 2 का वास्तविक नाम गोठी देवी है एवं राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से क्रमशः रामूडी व रामेश्वरी तथा छोटी देवी व घोटी देवी दर्ज कर दिया है के समर्थन में वादीया ने सरपंच ग्राम पंचायत बुर्जा का ढाणी का प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें वादीयागण का नाम रामा देवी व गोठी देवी दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात, साक्ष्यवादी से वाद वादी बाबत् रिकॉर्ड दुरूस्ती साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खिरोटी पटवार हल्का बुर्जा की ढाणी तहसील श्रीमाधोपुर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नंबर 787, 789, 790, 797 कुल किता 4 कुल रकबा 1.99 है0, खसरा नंबर 668 रकबा 0.43 है0, खसरा नंबर 793 रकबा 1.43 है0, खसरा नंबर 788 रकबा 0.65 है0 में वादीया संख्या 1 का नाम **रामूडी व रामेश्वरी** के स्थान पर **रामा देवी** तथा वादीया सं0 2 का नाम **छोटी देवी व घोटी देवी** के स्थान पर **गोठी देवी** दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)